



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 20(101)आयो/आकाशि/2023-24-07388

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं की अनुपालना में खोले खोले गए 07 नवीन राजकीय महाविद्यालयों (04 सहशिक्षा एव 03 कन्या शिक्षा) के लिए नवीन फर्नीचर नवीन, कम्प्यूटर मय प्रिंटर क्रय करने एवं अस्थायी भवनों की टूट-फूट मरम्मत व रंगरोगन व अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रति महाविद्यालय राशि रु 3 लाख (फर्नीचर हेतु राशि रु 2 लाख, कम्प्यूटर मय प्रिंटर हेतु राशि रु 0.80 लाख एवं रंगरोगन मरम्मत आदि हेतु राशि रु 0.20 लाख) कुल राशि रु 21 लाख व्यय किये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैं-

क्र.सं	राजकीय महाविद्यालय का नाम	बजट मद
1	राजकीय महाविद्यालय सादडी जिला पाली	2202-03-103-02-00-05 कार्यालय व्यय मद (प्रति महाविद्यालय फर्नीचर हेतु राशि रु 2 लाख एवं रंगरोगन मरम्मत आदि हेतु राशि रु 0.20 लाख, कुल राशि रु 8.80 लाख)
2	राजकीय महाविद्यालय छोटी खादू (डीडवाना) जिला नागौर	
3	राजकीय महाविद्यालय जसरासर (नौरखा) जिला बीकानेर	2202-03-103-02-00-62 कंप्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधित संचार व्यय मद (प्रति महाविद्यालय कंप्यूटर मय प्रिंटर हेतु राशि रु 0.80 लाख, कुल राशि रु 3.20 लाख)
4	राजकीय महाविद्यालय साबला जिला डूंगरपुर	
5	राजकीय कन्या महाविद्यालय सलूबर जिला उदयपुर	2202-03-103-03-00-05 कार्यालय व्यय मद (प्रति महाविद्यालय फर्नीचर हेतु राशि रु 2 लाख एवं रंगरोगन मरम्मत आदि हेतु राशि रु 0.20 लाख, कुल राशि रु 6.60 लाख)
6	राजकीय कन्या महाविद्यालय सांभर जिला जयपुर	
7	राजकीय कन्या महाविद्यालय कपासन जिला चित्तौड़गढ़	2202-03-103-03-00-62 कंप्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधित संचार व्यय मद (प्रति महाविद्यालय कंप्यूटर मय प्रिंटर हेतु राशि रु 0.80 लाख, कुल राशि रु 2.40 लाख)

यह स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि नोडल महाविद्यालय नवीन महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों, अस्थायी भवन के कक्ष एवं उसमें पूर्व में उपलब्धन फर्नीचर तथा कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों की संख्या आदि के परिपेक्ष में आवश्यकता का आकलन करते हुये उक्त राशि का व्यय RTPP ACT 2012, RTPP Rule 2013, GF&AR एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना एवं इन महाविद्यालयों को स्थायी भवन उपलब्ध होने पर उक्त फर्नीचर /कम्प्यूटर्स प्रिंटर को स्थायी भवन में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। साथ ही स्वीकृत मद में स्वीकृत कार्य हेतु दी गई सीमा में ही राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आईडी संख्या 152301772 दिनांक 03.08.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Suraj Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.09 17:52:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4465219





राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 20(101)आयो/आकाशि/2023-24-07388

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. नोडल प्राचार्य, संबंधित नवीन राजकीय महाविद्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों हेतु आवंटित अस्थायी भवन का अधिग्रहण करते हुये स्वीकृति अनुसार फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिंटर एवं अस्थायी भवन के रंगरोगन एवं मरम्मत की कार्यवाही करते हुये उक्त भवनों का छायाचित्र (महाविद्यालय नाम सहित) स्प्रेडशीट NEW COLLEGE 2023 के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.09 17:52:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4465219

